पत्र संख्या–204/एक–11–2020–रा0–11

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 दिनॉक: 28 मार्च, 2020

विषयः–नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या प्रवासी श्रमिकों तथा लोगों के लिए स्थापित किये जा रहे आश्रय स्थलों में आवश्यक व्यवस्थाए कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व अनुभाग–11) द्वारा शासनादेश संख्या–202/1–11–2020, दिनांक 27 मार्च 2020 द्वारा नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थाई स्कीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित करने तथा इन कैम्पस में पर्याप्त भोजन, पेयजल, साफ शौचालय–साबुन तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में पूर्व में ही विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त अस्थाई स्कीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु दिनांक 27 मार्च, 2020 को राजस्व विभाग द्वारा समस्त जनपदों को रू0 13.50 करोड़ की धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है।

2– उपर्युक्त विषय के संबंध में ही भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा पत्र दिनांक 27 मार्च 2020 तथा दिनांक 28 मार्च 2020 (दोनो पत्रों की प्रति संलग्न) प्रेषित किया गया है। उक्त पत्रों में अपेक्षा की गयी है कि अस्थाई शरणालय बनाने हेतु जनपदों में पूर्व से ही उपलब्ध भवनों, जिनमे पेयजल, स्वच्छता, कामन किचन आदि सुविधाएं संचालित की जा सकें, को विकल्प के रूप में प्रयोग किये जाने पर विचार किया जाए। अस्थाई शरणालय बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इनमें रहने वाले लोग पूरी लॉकडाउन अवधि तक वहॉ रहेंगे। शरणालयों में सोशल डिस्टेन्सिग का विशेष ध्यान रखा जाए। शरणालयों में मेडिकल चेकअप अभियान चलायें जाएं ताकि जिन व्यक्तियों को क्वारनटाइन या हॉस्पिटलाइजेशन कराये जाने की आवश्यकता हो, उनकी उचित व्यवस्था की जा सके। बड़ी संख्या में हाईवेज पर यात्रा कर रहे लोगों के लिए टेंट लगाकर आवासीय व्यवस्था किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

3– गृह सचिव, भारत सरकार के उक्त पत्रों में यह भी अपेक्षा की गयी है कि संवेदनशील समूहों को फूड पैकेट वितरित करने हेतु ऐसे भवन जहां बड़े रसोईघर हों जैसे– जेल, मिड–डे मील वेडर्स, आई0आर0सी0टी0सी0 फैसेलिटीज, धार्मिक संस्थान, सी0एस0आर0 समूहों आदि की सुविधाओं को चिन्हित कर लिया जाए। स्टूडेन्ट हॉस्टल्स, कामकाजी महिलाओं के

Scanned by CamScanner

हॉस्टल्स, किराये की आवासीय सुविधाएं आदि संचालित रखने के संबंध में आवश्यक उपाय किये जाए।

4– प्रवासी लोगों व श्रमिकों के लिए स्थापित किये जा रहे शरणालयों के बारे में प्रभावी रूप से सूचना प्रचारित–प्रसारित की जाए ताकि लोगों के बीच सुरक्षा की भावना रहे। इसके अतिरिक्त लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत रिलीफ पैकेज के संबंध में तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके आश्रय व भोजन इत्यादि के संबंध में किये जा रहे उपायों के बारे में भी बताया जाए ताकि बड़ी संख्या हो रहे लोगो के प्रवाह में कमी लायी जा सके।

5– कृपया प्रवासी लोगों व श्रमिकों के लिए तैयार किये जा रहे शरणालयों को स्थापित करते समय राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–202/1–11–2020, दिनांक 27 मार्च 2020 तथा गृह सचिव, भारत सरकार के उक्त दोनों पत्र दिनांक 27 मार्च, 2020 तथा 28 मार्च 2020 (प्रति संलग्न) के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6– इसके अतिरिक्त अस्थाई आश्रय स्थलों में रहने वाले सभी व्यक्तियों की समुचित सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाये तथा इस हेतु आवश्यक पुलिस फोर्स की तैनाती की जाय।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

28/3/2020

Scanned by CamScanner